INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

P. K. GARG
ACC CODE
UP14479504
L.No.304/21
SADAR LUCKNOW

Certificate No.	:	IN-UP26208299564249V
Certificate Issued Date	:	04-Feb-2023 03:49 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14479504/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1447950444988228565191V
Purchased by	:	PRIMACY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	LAND KHASRA NO.78 AND 88 SITUATED AT VILL-JAITI KHEDA,PARG-BINORE, TEH-SAROJINI NAGAR, DISTT-LUCKNOW
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHRI RAM
Second Party	:	PRIMACY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Paid By	:	PRIMACY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,47,300 (One Lakh Forty Seven Thousand Three Hundred only)

SAROJINI NAGAR LUCKNOW

Please write or type below this line

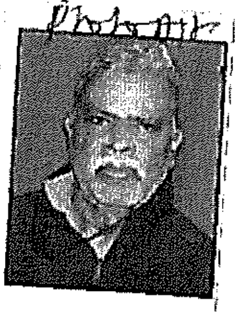

Primacy Constructions Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

0031689366

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

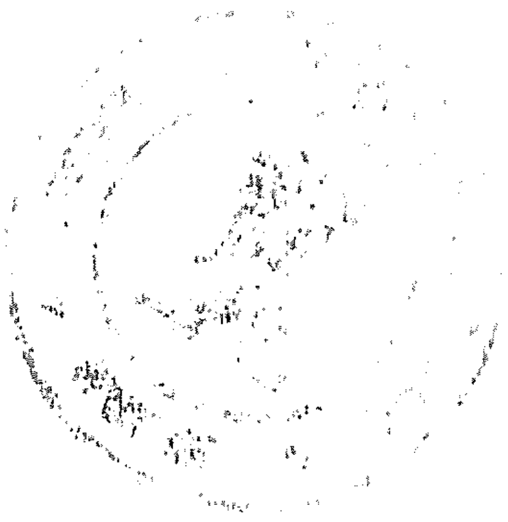

BHULEKH
Uttar Pradesh

Hindi

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : चैती खेड़ा   परगना : (बिजनौर)   तहसील : सरोजनी नगर   जनपद : लखनऊ   फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)   भाग : 1   खाता संख्या : 00650

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।				
श्रीराम / महावीर / नि.ग्राम स्वरूपचन्द्र खेड़ा म.औरंगाबाद खालसा	78 88	0.0510 0.0250		
योग	2	0.0760		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण वही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

Digital India

श्रीराम

इन्तखाब खसरा

ग्राम ____ परगना ____ तहसील ____ जिला ____ बावत सन् ____

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में या बन्दोबस्ती बीघों में	खाता खतौनी संख्या	खतौनी के भाग १ के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग २ के अनुसार खातेदार का नाम	सिंचाई का साधन	खरीफ फसल	खरीफ क्षेत्रफल सिंचित	खरीफ क्षेत्रफल असिंचित	रबी फसल	रबी क्षेत्रफल सिंचित	रबी क्षेत्रफल असिंचित	जायद फसल	जायद क्षेत्रफल सिंचित	जायद क्षेत्रफल असिंचित	दो फसल क्षेत्रफल सिंचित	दो फसल क्षेत्रफल असिंचित	मिलान खसरा भूमि का भेद	मिलान खसरा क्षेत्रफल	प्रत्येक खेत के पूरे बड़े पेड़ों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
78	0.051	650	श्रीराम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	पती	0.051	—
88	0.025	650	श्रीराम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	पती	0.025	—

मण्डल:- लखनऊ,जनपद:- लखनऊ
न्यायालय अपर जिलाधिकारी, प्रशासन
वाद संख्या:- 6132/2022
श्रीराम बनाम सरकार
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202210460006132
अंतर्गत धारा:- 98(1),उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 28/01/2023

अंतिम आदेश

संशोधन आदेश

उपरोक्त वाद में पूर्व में दिनांक 06.12.2022 को अन्तिम आदेश पारित किया जा चुका है। इसके उपरान्त प्रार्थी श्रीराम द्वारा अधिवक्ता ने दिनांक 13.12.2022 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त आदेश दिनांक 06.12.2022 में त्रुटिवश तहसील आख्या में "गाटा संख्या 78 रकबा 0.051हे0" के स्थान पर "गाटा संख्या 78 रकबा 0.063हे0" अंकित हो गया है। तद्नुसार तहसील आख्या दिनांक 07.11.2022 के आधार पर त्रुटियुक्त आदेश दिनांक 06.12.2022 को पारित हो गया है। जिसे संशोधित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2022 पर प्राप्त तहसील आख्या दिनांक 23.01.2023 के अनुसार रिपोर्ट लगाते समय त्रुटिवश "गाटा संख्या 78 रकबा 0.051हे0" के स्थान पर "गाटा संख्या 78 रकबा 0.063हे0" अंकित हो गया है। "गाटा संख्या 78 रकबा 0.063हे0" के स्थान पर "गाटा संख्या 78 रकबा 0.051हे0" संशोधित किये जाने हेतु तहसील आख्या अग्रसारित की गयी है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2022 व तहसील आख्या दिनांक 23.01.2023 एवं पत्रावली पर रक्षित अभिलेखों के क्रम में पत्रावली का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया। न्यायाहित में पूर्व में जारी भूमि विक्रय अनुमति आदेश दिनांक 06.12.2022 में "गाटा संख्या 78 रकबा 0.063हे0" के स्थान पर "गाटा संख्या 78 रकबा 0.051हे0" संशोधित किया जाता है। पूर्व पारित आदेश दिनांक 06.12.2022 की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी। यह संशोधन आदेश वाद संख्या डी 202210460006132 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2022 का अंश रहेगा। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अपर कलेक्टर (प्रशासन)
लखनऊ।

प्रतिलिपि-

1- प्रस्तावित विक्रेता एवं क्रेता को अनुपालनार्थ।

2- तहसीलदार, सरोजनीनगर, लखनऊ।

3- उप निबन्धक, सरोजनीनगर, लखनऊ।

28.01.2023
अपर कलेक्टर (प्रशासन)

मण्डल:- लखनऊ,जनपद:- लखनऊ
न्यायालय अपर जिलाधिकारी, प्रशासन
वाद संख्या:- 6132/2022

श्रीराम बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202210460006132
अंतर्गत धारा:- 98(1),उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 06/12/2022

अंतिम आदेश

आवेदक श्रीराम पुत्र महावीर निवासी ग्राम स्वरूपचन्द्र खेड़ा मजरा औरंगाबाद खालसा जिला लखनऊ द्वारा इलाज हेतु धनराशि की आवश्यकता होने के कारण अपनी प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-98(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसकी उप जिलाधिकारी सरोजनीनगर द्वारा जाँच आख्या दिनांक 07.11.2022 प्राप्त हुई है। उक्त आख्या के क्रम में आवेदक उपरोक्त को ग्राम जैतीखेड़ा परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 78 रकबा 0.063हे0 व गाटा संख्या 88 रकबा 0.025हे0 कुल 02 किता रकबा 0.076हे0 भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति प्राइमेसी कस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय द्वितीय तल एल्डिको कारपोरेट चेम्बर-1 विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ द्वारा अधोहस्ताक्षरी आशीष सिंह पुत्र श्री हरिवंश नारायण सिंह के पक्ष में विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। विक्रय के पश्चात् विक्रेता के पास कोई भूमि शेष नहीं रह जायेगी।

1- विक्रीत भूमि के स्वत्व/कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य यथा अभिलेखीय/चिकित्सीय छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, यह संज्ञान में आता है तो तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरूद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी।

2- उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2006 के नियम-99 के प्रस्तर-8(ध) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की मांग की जा रही है, भूमि के अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा।, विक्रेता को मूल्य देयता के सम्बन्ध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय मे अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता में दिये गये प्राविधानों के परिपेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3- उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से दो माह तक अनुमन्य होगी। क्रेता अपनी सुविधा अनुसार दो माह के अन्दर बैनामा करा सकता है।

4- क्रेता द्वारा विक्रेता को विक्रय धनराशि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार भुगतान की दशा में ही विक्रय अनुमति मान्य होगी अन्यथा अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

5- विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी से संक्रमणीय में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ङ)(4) मे दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।

इस आदेश की प्रति प्रस्तावित विक्रेता व क्रेता व सम्बन्धित तहसीलदार व सम्बन्धित उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। तत्पश्चात् पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(विपिन कुमार मिश्र)
अपर कलेक्टर (प्रशासन)
लखनऊ।

आज दिनांक 06-12-2022 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

06/12/2022

(विपिन कुमार मिश्र)
अपर कलेक्टर (प्रशासन)
लखनऊ।

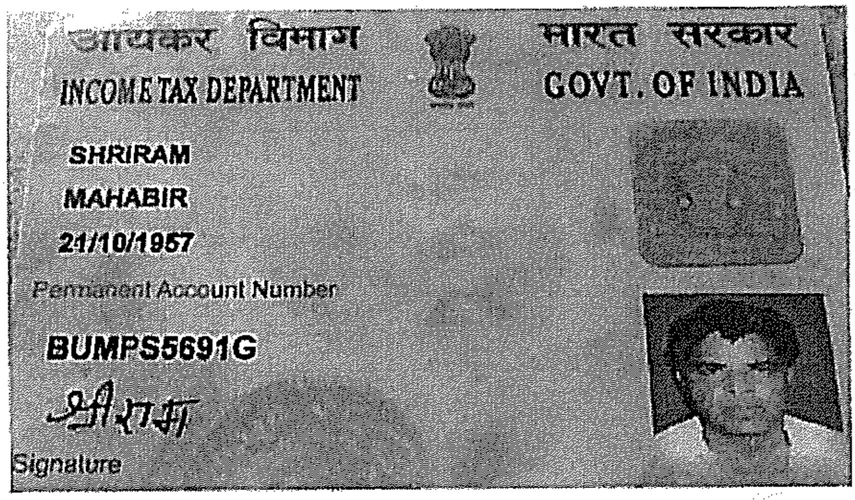
आयकर विभाग भारत सरकार

INCOME TAX DEPARTMENT GOVT. OF INDIA

SHRIRAM

MAHABIR

21/10/1957

Permanent Account Number

BUMPS5691G

श्रीराम

Signature

श्रीराम

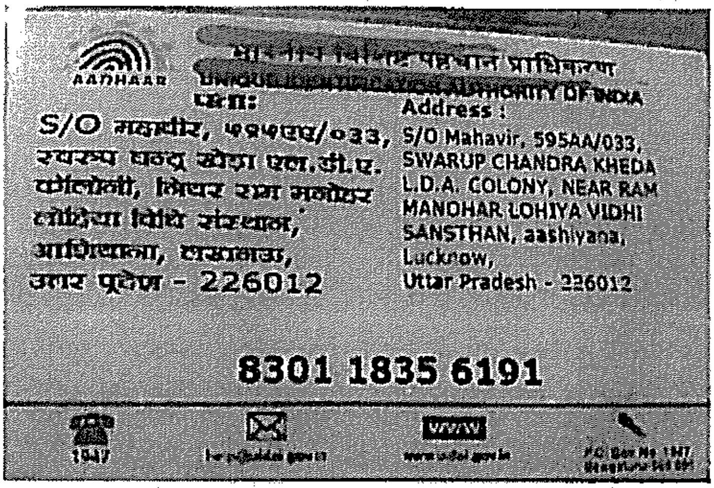

AADHAAR

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता: S/O महावीर, ५९५एए/०३३, स्वरूप चन्द्र खेड़ा एल.डी.ए. कॉलोनी, निकट राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान, आशियाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226012

Address : S/O Mahavir, 595AA/033, SWARUP CHANDRA KHEDA L.D.A. COLONY, NEAR RAM MANOHAR LOHIYA VIDHI SANSTHAN, aashiyana, Lucknow, Uttar Pradesh - 226012

8301 1835 6191

1947

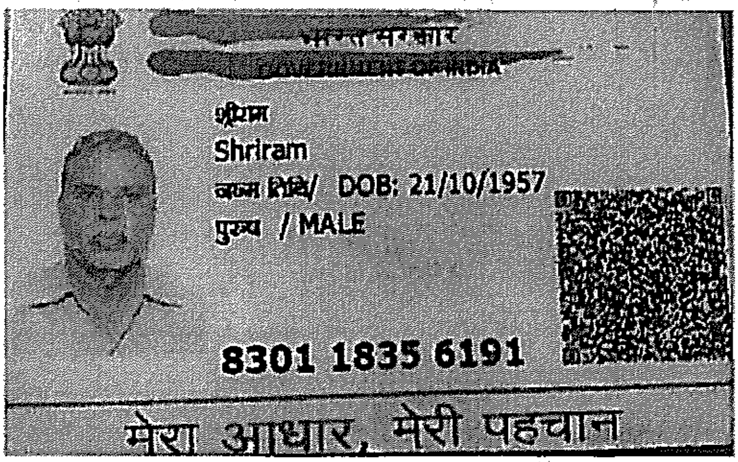

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

श्रीराम
Shriram
जन्म तिथि/ DOB: 21/10/1957
पुरुष / MALE

8301 1835 6191

मेरा आधार, मेरी पहचान

Primacy Constructions Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

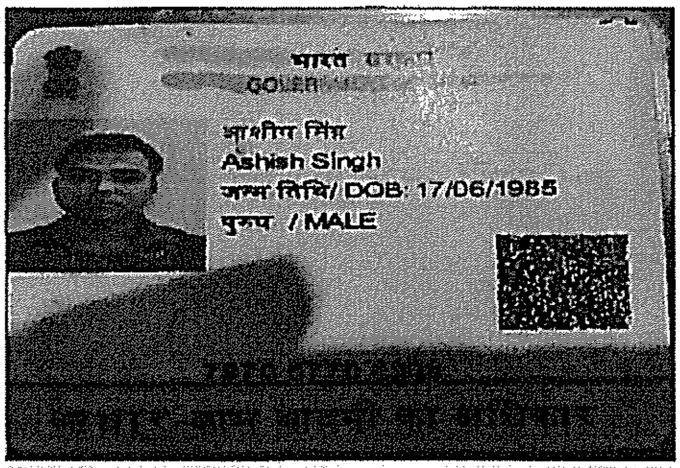

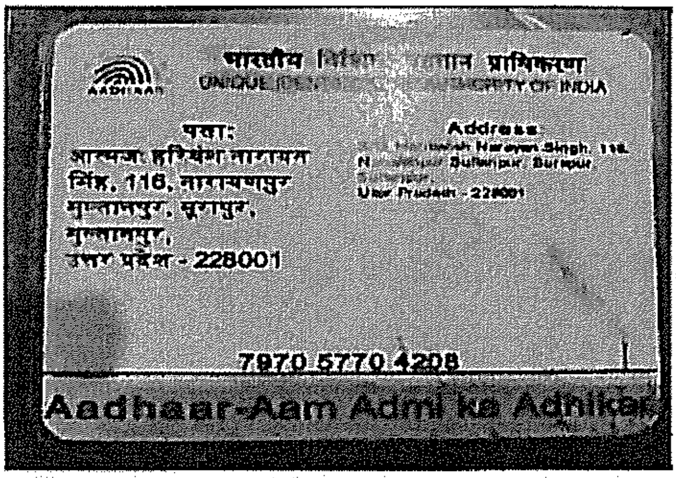

Authorised Signatory

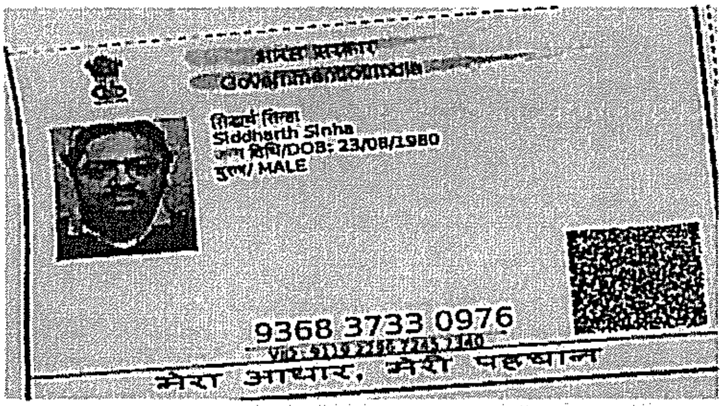

भारत सरकार

Government of India

सिद्धार्थ सिन्हा

Siddharth Sinha

जन्म तिथि/DOB: 23/08/1980

पुरुष/ MALE

9368 3733 0976

VID: 9119 2296 7245 7340

मेरा आधार, मेरी पहचान

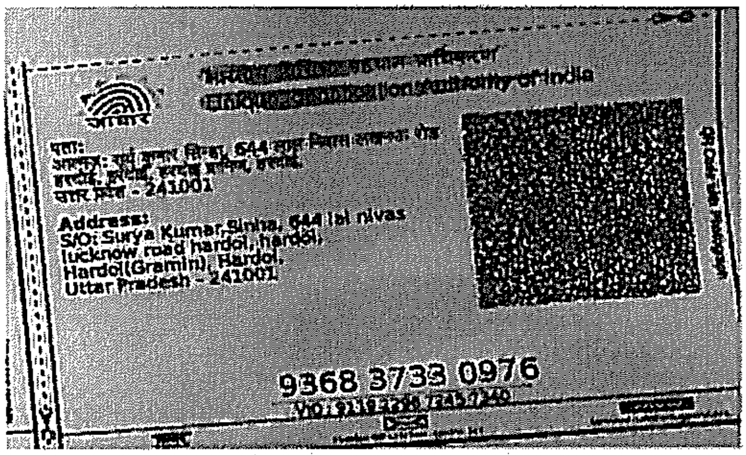

पहचान प्राधिकरण

Authority of India

आधार

पता:

पिन कोड - 241001

Address:

S/O: Surya Kumar Sinha, 644 lal nivas

lucknow road hardoi, hardoi,

Hardoi(Gramin), Hardoi,

Uttar Pradesh - 241001

9368 3733 0976

VID: 9119 2296 7245 7340

[redacted]

रणवीर सिंह यादव
Ranveer Singh Yadav
जन्म तिथि/ DOB: 25/07/1974
पुरुष / MALE

5771 1717 1576

आधार - आम आदमी का अधिकार

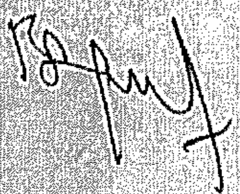

[redacted]

पता:
S/O बाबू लाल, 39, नूर नगर
भदरसा, चंद्रावल, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226002

Address:
S/O Babu Lal, 39, Noor Nagar
Bhadersha, Chandraval,
Lucknow,
Uttar Pradesh - 226002

5771 1717 1576

भूमि खसरा सं0–78 रकबा 0.051 हे0 व खसरा सं0–88 रकबा 0.025 हे0 अर्थात कुल 2 किता विक्रीत रकबा 0.076 हे0 स्थित ग्राम–जैतीखेड़ा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

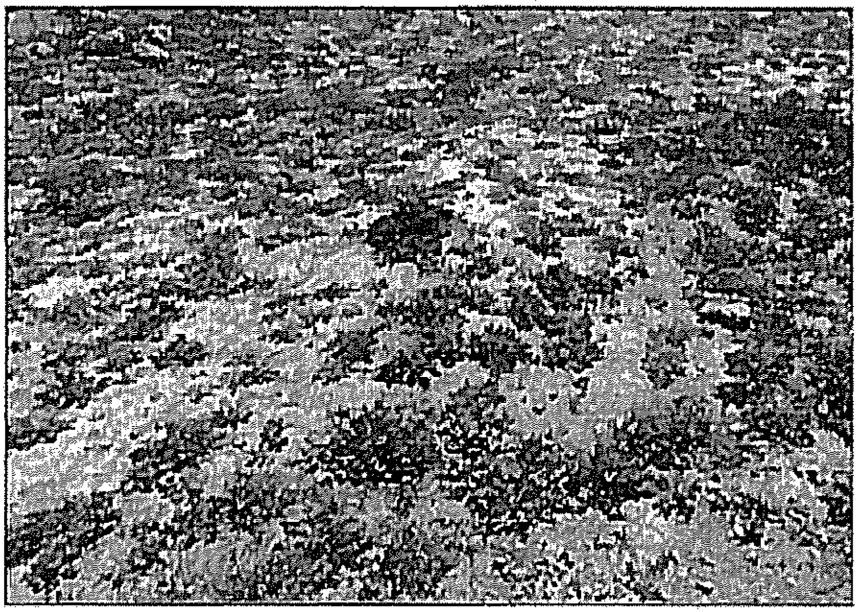

Primacy Constructions Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

विक्रेता

क्रेता

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि — रू0 21,02,700/—

बाजारू मूल्य — रू0 3,04,000/—

स्टाम्प शुल्क — रू0 1,47,300/—

विक्रय विलेख का सक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — बिजनौर
3. ग्राम — जैतीखेडा
4. सम्पत्ति का विवरण — भूमि खसरा सं0—78 रकबा 0.051 हे0 व खसरा सं0—88 रकबा 0.025 हे0 अर्थात कुल 2 किता विकीत रकबा 0.076 हे0 स्थित ग्राम—जैतीखेड़ा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।
5. मापन की इकाई — हेक्टेअर में
6. सम्पत्ति का विक्रीत क्षेत्रफल — 0.076 हेक्टेअर
7. सड़क की स्थिति — किसी भी रोड सेगमेंट पर स्थित नही है।
8. अन्य विवरण — कुछ नहीं है।
9. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि
10. पेड़ों, कुआं, बोरिंग आदि — नहीं

Primacy Constructions Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

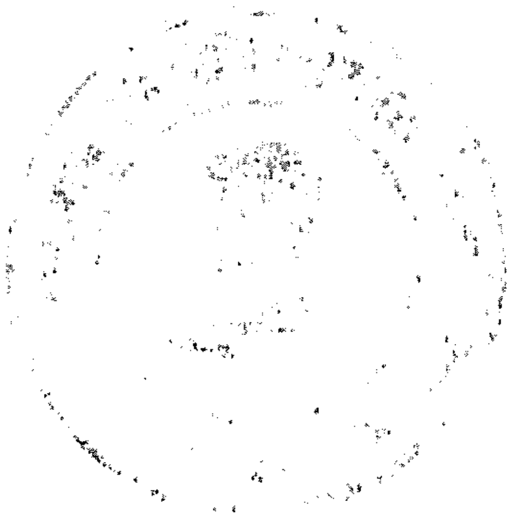

प्रथम पक्ष की संख्या–1	:	द्वितीय पक्ष की संख्या–1
विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
श्रीराम पुत्र महावीर, निवासी– स्वरूपचन्द्र खेड़ा, मजरा औरंगाबाद खालसा, जिला लखनऊ।		प्राईमेसी कन्सट्रक्शान्स प्राईवेट लिमिटेड ;Primacy Constructions Private Limited (PAN-AAECP7512M) रजिस्टर्ड पता–द्वितीय तल, एल्डिको कॉर्पोरेट चैम्बर–1, विभूती खंड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री आशीष सिंह पुत्र श्री हरिवंश नारायण सिंह हाल पता –मार्केटिंग आफिस, एल्डिको शौर्या बिजनौर रोड, लखनऊ,द्वारा अधिकृत द्वारा बोर्ड रिजल्यूशन दिनांकित– 27.10.2021

यह विक्रय विलेख **श्रीराम पुत्र महावीर, निवासी–स्वरूपचन्द्र खेड़ा, मजरा औरंगाबाद खालसा, जिला लखनऊ,** जिन्हें आगे **विक्रेता** कहा गया है (जिसके अन्तर्गत विक्रेता के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है)।

Primacy Constructions Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

एवम्

प्राईमेसी कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड ;Primacy Constructions Private Limited (PAN-AAECP7512M) रजिस्टर्ड पता–द्वितीय तल, एल्डिको कॉर्पोरेट चैम्बर–1, विभूती खंड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री आशीष सिंह पुत्र श्री हरिवंश नारायण सिंह हाल पता –मार्केटिंग आफिस, एल्डिको शौर्या बिजनौर रोड, लखनऊ, द्वारा अधिकृत द्वारा बोर्ड रिजल्यूशन दिनांकित– 27.10. 2021, जिन्हें आगे **क्रेता** कहा गया है (जिसके अन्तर्गत क्रेता के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है) के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता **भूमि खसरा सं0–78 रकबा 0.051 हे0 व खसरा सं0–88 रकबा 0.025 हे0 अर्थात कुल 2 किता विकीत रकबा 0.076 हे0 स्थित ग्राम–जैतीखेड़ा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ,** का मालिक, कामिल व काबिज हैं एवं विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेखो में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है।

यह कि विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है इसलिए उपरोक्त भूमि खसरा सं0–78 रकबा 0.051 हे0 व खसरा सं0–88 रकबा 0.025 हे0 अर्थात कुल 2 किता विकीत रकबा 0.076 हे0 स्थित ग्राम–जैतीखेड़ा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ, को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति (उपरोक्त क्रेता) के पक्ष में विक्रय अनुमति

Primacy Constructions Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

न्यायालय अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, लखनऊ वाद सं0–6132/2022 श्रीराम आदि बनाम सरकार कम्प्यूटरिकृत वाद सं0–डी 202210460006132 अन्तर्गत धारा 98 (1) उ0प्र0 राजस्व सहिता 2006 आदेश दिनांक 06.12.2022 के द्वारा उपरोक्त क्रेता के पक्ष में विक्रय अनुमति प्रदान की गई है।

चूंकि उपरोक्त वाद संख्या–6132/2022 में त्रुटिवश खाता संख्या 78 रकबा 0.051 हे0 के स्थान पर खाता संख्या 78 रकबा 0.063 हे0 गलत अंकित हो गया था। इसलिए विकेता श्रीराम ने दिनांक 13.12.2022 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके संबंध में न्यायालय अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, लखनऊ वाद सं0–6132/2022 श्रीराम आदि बनाम सरकार कम्प्यूटरिकृत वाद सं0–डी 202210460006132 अन्तर्गत धारा 98 (1) उ0प्र0 राजस्व सहिता 2006 संशोधन आदेश दिनांक 28.01.2023 को पारित किया गया।

यह कि विक्रेता को उक्त भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि सीलिंग, ग्राम समाज, भूदान व पट्टे की भूमि नहीं है।

यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं

Primacy Constructions Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुक्र इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य **रू0 21,02,700/–(इक्कीस लाख दो हजार सात सौ मात्र)** के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार विक्रेता उक्त क्रेता को **भूमि खसरा सं0–78 रकबा 0.051 हे0 व खसरा सं0–88 रकबा 0.025 हे0 अर्थात कुल 2 किता विकीत रकबा 0.076 हे0 स्थित ग्राम–जैतीखेड़ा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ,** को विक्रेता अपना संपूर्ण हिस्सा इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहे हैं। जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए

Primacy Constructions Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगें।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगा, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि भूमि में कोई पेड़, इमारत आदि नहीं है, व किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है।

उक्त आराजी विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात मिस्ल रेहन व बय व इकरारनामा व

Primacy Constructions Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

हिबा व जमानत व मुकदमा व कर्जा/ऋण आदि से बिल्कुल बरी व पाक साफ है।

यह कि उक्त आराजी लखनऊ विकास प्राधिकरण व आवास एवं विकास परिषद् या अन्य किसी सरकारी व गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने के विक्रेता को समस्त कानूनी हक व अधिकार हासिल हैं।

यह विक्रय विलेख पक्षकारों द्वारा दिये कागजातों एवं उनके द्वारा बताये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उभय पक्षों पर होगी।

यह कि आराजी बयशुदा उपरोक्त राष्ट्रीयमार्ग, राज्य मार्ग, जनपदीय मार्ग आदि पर स्थित नहीं है, यह कि उपरोक्त सम्पत्ति नगर निगम की सीमा से बाहर स्थित है तथा ग्राम जैतीखेड़ा ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है यह कि विक्रीत सम्पत्ति की 200 मीटर की परिधि में कोई आबादी नही है, चूंकि विक्रीत सम्पत्ति के आस पास आवासीय गतिविधियां विद्यमान है, जिसका निर्धारित सरकिल रेट रू0 40,00,000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत रकबा 0.076 हेक्टेअर की मालियत रू0 3,04,000/– होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है, इसलिए नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से विक्रय मूल्य पर ही रू0 1,47,300/–का ई– स्टाम्प क्रेता द्वारा अदा किया जा रहा है।

Primacy Constructions Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

यह कि लेख पत्र में स्टाम्प को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजातों व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनो पक्षों पर होगी। लेख पत्र को उभय पक्षों ने भली–भाँति पढ़, सुन व समझकर हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा किया है तथा प्रथम पक्ष ने अपनी आवश्यकता के लिए नीचे दिये गये विवरण के अनुसार रूपया प्राप्त कर लिया है तथा दोनो पक्षों के फोटो की पहचान उनके द्वारा दाखिल कराये गये साक्ष्यों के आधार पर हो गयी है।

यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों "विक्रेता" एवं "क्रेता" में जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित है।

यह विक्रय पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर बतौर साक्ष्य काम आवे।

Primacy Constructions Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा सं0–78 रकबा 0.051 हे0 व खसरा सं0–88 रकबा 0.025 हे0 अर्थात कुल 2 किता विक्रीत रकबा 0.076 हे0 स्थित ग्राम–जैतीखेड़ा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है:–

चौहद्दी खसरा नं0 78

पूरब : खसरा नं0 77
पश्चिम : खसरा नं0 63
उत्तर : खसरा नं0 79
दक्षिण : खसरा नं0 74

चौहद्दी खसरा नं0 88

पूरब : खसरा नं0 87 व 86
पश्चिम : खसरा नं0 89
उत्तर : खसरा नं0 81
दक्षिण : खसरा नं0 90 व 87

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. रू0 **1,00,000/–**द्वारा आर0टी0जी0एस0 /एन०ई०एफ०टी० दिनांकित 06-09-2022 केता से प्राप्त किया है जिसकी प्राप्ति को विकेता स्वीकार करता है।

2. रू0 **20,02,700/–**द्वारा आर0टी0जी0एस0 HDFCR52023020680756196 दिनांकित 06.02.2023 केता से प्राप्त किया है जिसकी प्राप्ति को विकेता स्वीकार करता है।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य **रू0 21,02,700/–(इक्कीस लाख दो हजार सात सौ मात्र)** विक्रेता ने क्रेता से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर लिया है तथा अब कुछ भी पाना शेष नही है।

Primacy Constructions Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

कमीशन पुष्टि विलेख - धारा-52

आवेदन सं०: 202301041006030

विक्रय पत्र

बही सं०: 1	रजिस्ट्रेशन सं०: 3869	वर्ष: 2023

प्रतिफल- 2102700 स्टाम्प शुल्क- 147300 बाजारी मूल्य - 304000 पंजीकरण शुल्क - 21030 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 21110

प्रार्थना पत्र कमीशन दिनांक द्वारा
श्री, प्राईमेसी कंस्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आशीष सिंह
अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
के क्रम में
मैं उप निबंधक : वन्दना . .
जनपद : सरोजनीनगर लखनऊ

श्री, प्राईमेसी कंस्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा
आशीष सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
पुत्र श्री हरिवंश सिंह
व्यवसाय : नौकरी
निवासी : मार्केटिंग ऑफिस एल्डिको शौर्य बिजनौर रोड लखनऊ

श्री, प्राईमेसी कंस्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा	आशीष सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

पर उपस्थित हुआ। उक्त श्री प्राईमेसी कंस्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आशीष सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि द्वारा यह लेखपत्र निबंधन हेतु मेरे समक्ष
समय 06/02/2023 एवं 08:23:31 PM बजे उक्त निवास/अन्य स्थान पर प्रस्तुत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वन्दना . .
उप निबंधक :सरोजनीनगर
लखनऊ

06/02/2023

निबंधक लिपिक
राम सागर त्रिपाठी

प्रिंट करें

लिहाजा यह विक्रय विलेख कतई विक्रेता ने अपनी राजी खुशी से खूब सोच व समझकर बिना दबाव नाजायज किसी के बदुरुस्ती होश हवास में क्रेता के हक में रूबरू गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

लखनऊ।

दिनांक : 04.02.2023

गवाहानः

सिद्धार्थ सिन्हा
पुत्र सूर्य कुमार सिन्हा
निवासी 644, लाल निवासी
लखनऊ रोड, हरदोई।

रणवीर सिंह यादव पुत्र बाबू लाल
निवासी– 39, नूर नगर भदरसा
चन्द्रावल लखनऊ।

विक्रेता

Primacy Constructions Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

क्रेता

टाईपकर्ताः

(संदीप)

मसविदाकर्ता

(बेंकट रमन सिंह)
एडवोकेट

आवेदन सं०: 202301041006030

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 3869 वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री श्री राम, पुत्र श्री महाबीर

निवासी: स्वरूप चन्द्र खेड़ा , मजरा औरंगाबाद खालसा , लखनऊ

व्यवसाय: कृषि

क्रेता: 1

श्री प्राईमेसी कंस्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आशीष सिंह , पुत्र श्री हरिवंश सिंह

निवासी: मार्केटिंग ऑफिस एल्डिको शौर्य बिजनौर रोड लखनऊ

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री सिद्धार्थ सिन्हा , पुत्र श्री सूर्य कुमार सिन्हा

निवासी: 644, लाल निवासी, लखनऊ रोड हरदोई उत्तर प्रदेश

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2

श्री रणवीर सिंह यादव , पुत्र श्री बाबूलाल

निवासी: 39, नूर नगर भदरसा , चंदवाल लखनऊ

व्यवसाय: नौकरी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वंदना . .
उप निबंधक : सरोजनीनगर
लखनऊ
06/02/2023

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :प्रतिफल के प्राप्ति की विक्रेता द्वारा लेखपत्र में अंकित विवरण अनुसार पुष्टि की गई।

राम सागर त्रिपाठी
निबंधक लिपिक लखनऊ
06/02/2023

प्रिंट करें

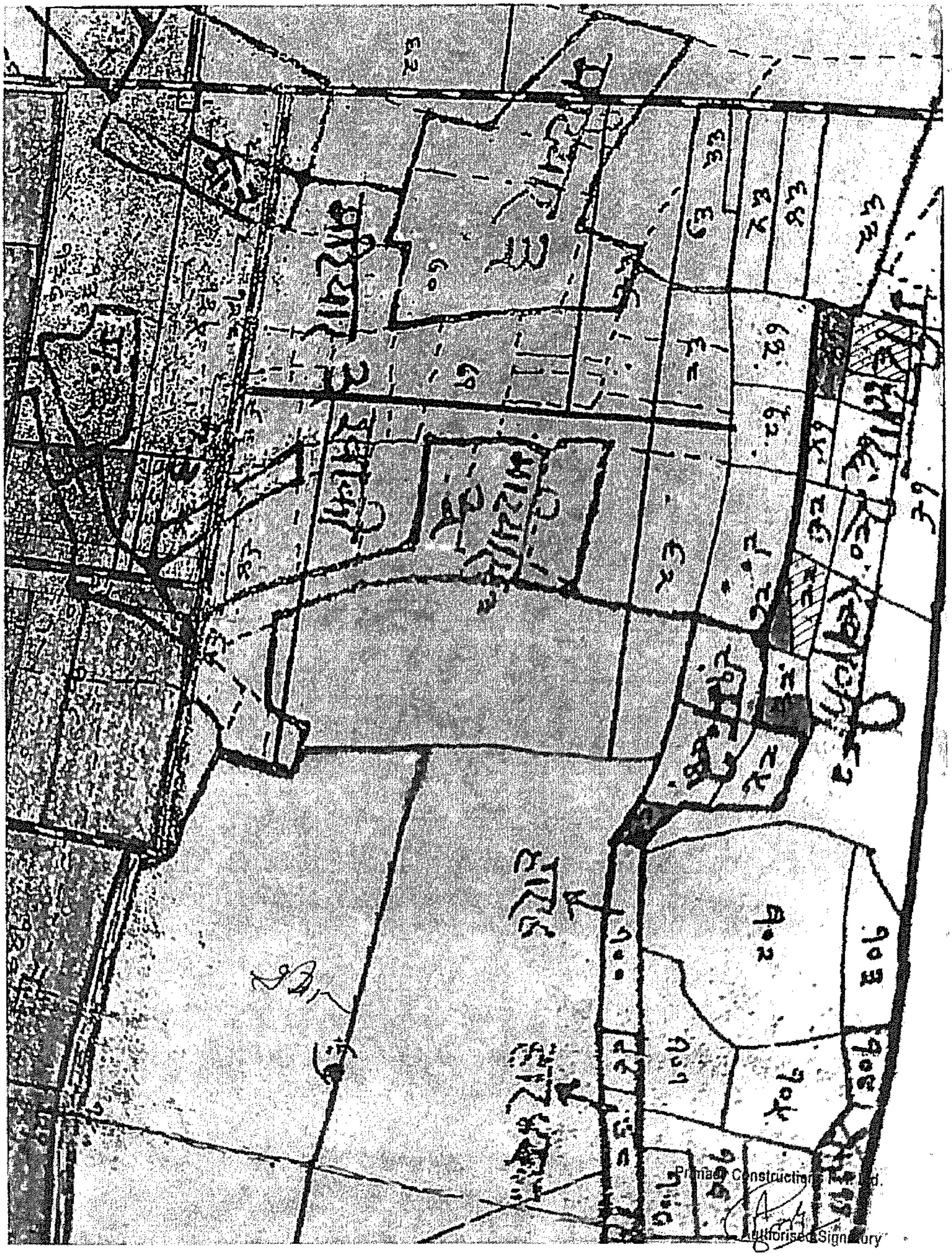

Pramod Constructions Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

आवेदन सं०: 202301041006030

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10244 के पृष्ठ 17 से 40 तक क्रमांक 3869 पर दिनाँक 06/02/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बन्दना . .

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

06/02/2023

प्रिंट करें